सभापति कृष्ण कुमार गोयल एवं उपसभापति मुजाहिद का कांग्रेसजनों ने किया स्वागत

गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। सोमवार को नगर परिषद में नवनिर्वाचित सभापति कृष्ण कुमार गोयल एवं उपसभापति मुजाहिद का कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी शौकत अली ने स्वागत कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पार्षद अनबर अली, इसराइल खान, पप्पी पार्षद एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉ. नवीन खान सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सीवरेज टेंडर पर रार के बीच पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल का बयान– पारदर्शिता से होगा विकास, गड़बड़ी की होगी जांच

केकड़ी में प्रेस वार्ता: 38.20 करोड़ के सीवरेज टेंडर पर पालिका अध्यक्ष ने उठाए सवाल

अनिल मित्तल की दोटूक– पहले सीवरेज बिछेगी फिर बनेगी सड़क, जनता के पैसे का अपव्यय बर्दाश्त नहीं

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 28 सितम्बर (दीपांकुर चौहान)। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में प्रस्तावित सीवरेज योजना और सड़क निर्माण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों में विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि एक ही सड़क को बार-बार खोदने की स्थिति न बने और जनता के धन का अनावश्यक व्यय न हो।

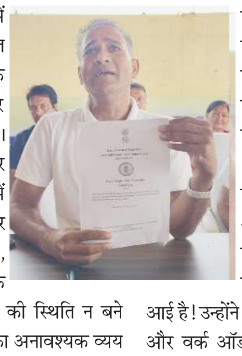

मित्तल ने बताया कि उन्हें सीवरेज कार्य के संबंध में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पीडब्लूडी के ×द्र्ठु से संपर्क कर सड़क निर्माण से पहले सीवरेज, पीएचएडी की पेयजल लाइन, विद्युत लाइन सहित आवश्यक कार्य पूरे कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी विकास कार्य को रोकना नहीं, बल्कि कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया और बेहतर समन्वय के साथ करवाना है।

38.20 करोड़ की सीवरेज योजना का किया जिक्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मित्तल ने डी ल बी की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि केकड़ी के लिए करीब 38.20 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजना प्रस्तावित है। उनके अनुसार इस परियोजना में शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है और टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों ने भाग लिया है।

उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार टेंडर में ल न ए इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में सामने आई है! उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया और वर्क ऑर्डर जारी होने की स्थिति संबंधित विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

'पहले सीवरेज, फिर सड़क'

मित्तल ने कहा कि यदि पहले सड़क बना दी जाती है और बाद में सीवरेज लाइन डालने के लिए उसे खोदा जाता है तो सड़क की गुणवत्ता और सरकारी धन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर की प्रत्येक गली में सड़क निर्माण होना चाहिए, लेकिन पहले सभी भूमिगत कार्य पूरे कर उसके बाद गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाई जाए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या विभाग के साथ भेदभाव करना नहीं है और शहर का विकास बिना भेदभाव किया जाएगा।

पालिका के पूर्व प्रशासकीय कार्यकाल की जांच की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पालिका के पिछले प्रशासकीय कार्यकाल के दौरान हुए कुछ कार्यों और धनराशि के हस्तांतरण को लेकर भी सवाल उठाए गए। मित्तल ने करीब 10 करोड़ रुपये के हस्तांतरण और सड़क निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को जांच का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में नियमों और अधिकारों के अनुरूप हुई कार्रवाई की जांच होनी चाहिए।

मीडिया से आधिकारिक पक्ष शामिल करने की अपील

मित्तल ने मीडिया से अपील की कि नगरपालिका से संबंधित किसी भी विषय पर समाचार प्रकाशित करने से पहले पालिका का पक्ष भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी मुद्दे पर आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, नामांतरण, घर-घर कचरा संग्रहण, वाई-फाई योजना तथा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा और कथित अनियमितताओं पर भी चर्चा की गई। उपस्थित पार्षदों ने शहर के विकास कार्यों को बिना भेदभाव आगे बढ़ाने की बात कही।

अश्लील फिल्मों के 8000 लिंक-ग्रुप पुलिस ने कराए ब्लॉक

15 हजार मोबाइल नंबर किए बंद; टेलीग्राम-डिस्कॉर्ड एप पर जोड़ते थे लोगों को

जयपुर, 28 सितम्बर (का.सं.)। राजस्थान साइबर क्राइम विंग और राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर **(RyC)** ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर अश्लील फिल्में भेजने पर कार्रवाई की। टीमों ने तकनीकी जांच के बाद कई सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, वॉट्सएप और टेलीग्राम से जुड़े करीब 7,800 यूआरएल और प्रोफाइल ब्लॉक करवाए गए। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी गतिविधि में यूज किए जा रहे 15 हजार 326 मोबाइल और 100 से अधिक डिजिटल डिवाइस को ब्लॉक करवाया गया है।

नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन **(NCMEC)** की टिपलाइन रिपोर्ट्स और डिजिटल ट्रेल के विश्लेषण के आधार पर करीब 25 हजार इनपुट जुटाए गए। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी (साइबर क्राइम) वी.के. सिंह ने मॉड्यूस ऑपरेंडी (अपराध करने के तरीके) का सोमवार दोपहर यह खुलासा किया।

ग्रुप में फर्जी नाम से जुड़ते हैं लोग

एडीजी वीके सिंह ने बताया- साइबर अपराधी बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के लिए टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर गुप्त या पेड ग्रुप और चैनल बनाते हैं। इनमें मेंबर फर्जी या गुमनाम पहचान के साथ जुड़ते हैं। आपस में आपत्तिजनक सामग्री का आदान-प्रदान करते हैं। कई मामलों में सामग्री सीधे निजी मैसेज के जरिए भेजी जाती है, जबकि गूगल ड्राइव या अन्य क्लाउड स्टोरेज पर सामग्री अपलोड कर केवल उसका लिंक शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आरोपी पकड़ से बचने के लिए कोडेड शब्दों और हैशटैग का यूज करते हैं। कई बार इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सामान्य प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट करने के बाद बातचीत को कम निगरानी वाले प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है।

बड़नगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा का सवाई माधोपुर में जगह-जगह स्वागत

गंगापुर सिटी, 28 सितम्बर (मदन मोहन गर्ग)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुई 'बड़नगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा' का सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया। यात्रा के पाली बॉर्डर पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।यात्रा के जिला प्रभारी हर्ष शर्मा एवं जिला संयोजक मुरली गौतम के संयोजन में यात्रा बहरावंडा, छाण सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। जैतपुर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर पौधारोपण, ग्राम चौपाल, भोजन एवं मेडिकल चेकअप जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। झोंझेश्वर महादेव मंदिर, लहसोड़ा में दर्शन कर संतों का सम्मान किया गया।सवाई माधोपुर मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा शहर मंडल एवं बजरिया मंडल के

कार्यकर्ताओं सहित राजेश सैनी ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के रात्रि विश्राम के दौरान सेवा यात्रियों से संवाद किया गया। अगले दिन स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करने के बाद यात्रा कुस्तला गौशाला पहुंची, जहां विधायक जितेंद्र गोठवाल ने सेवा यात्रियों को त्रिनेत्र गणेश का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद यात्रा अगले जिले के लिए रवाना हुई।इस दौरान जिला महामंत्री बाबूलाल मीणा, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण धाकड़, हरिओम गर्ग, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा, खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी, खंडार विधानसभा प्रवासी राजकुमार मीणा, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र मित्तल, मनराज गुर्जर, योगेश गर्ग, घमंडीलाल मीणा, अरविंद सैनी, कुणाल सोयल, चेतन शर्मा, अजय गौतम, गोविंद शर्मा एवं विशाल सीठा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.10.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

भरतपुर, भरतपुर, 0138080810003424, 3522, 0228, भरतपुर राजस्थान, 0135690700011917, 1832, भरतपुर, 0138000710003965, 3989, 3996, 4031, 3856, 3875, कोटा, गुमान पुरा, 0112700710037722, 7764, 7703, 7746, 0398, केशवपुरा कोटा, 0114320700028023, 8128, 8063, 8092, 0297, कोटा जंक्शन, 0112630710032641, 2757, 2758, 2978, 2686, 0235, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, 0135230710009390, 0111,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.10.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

चूरू, चूरू राजस्थान, 0135110810012490, 0112, 0115, सुजानगढ, 0135090710017370, 7378, हनुमानगढ़, बाबा शाम सिंह कॉलोनी, 0117270710063021, बस स्टैंड गेट हनुमानगढ़, 0117320710032169, 1941, नोहर राजस्थान, 0135640710033073, 3086, 3120, 3138, 0323, 2777, पिलीबंगन, 0135180710038303, नागपुर , लाडनूं, 0137990710003748, मकराना, 0138030810005798, तहसील चौक, 0115510810022639, विजय वल्लभ चौक नागौर, 0138430710004389, सीकर, बजाज रोड सीकर, 0111830710048717, 8892, 0245, 8636, 8651, 8670, 0234, 0242, फतेहपुर राजस्थान, 0135330820000253, श्रीमाधोपुर राजस्थान, 0135520810013109,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

जयपुर में ट्रक ने 4 दोस्तों को कुचला,2 की मौत

पैर कटकर ट्रक पर लटके, 2 युवक गंभीर घायल; बाइक पर लौट रहे थे घर

जयपुर, 28 सितम्बर (का.सं.)। जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 दोस्तों को कुचल दिया। हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दोस्त घायल हो गए। मरने वाले युवकों के 1-1 पैर कटकर ट्रक में लटक गए। बाइक के परखच्चे उड़ गए।

दौलतपुरा थाना पुलिस ने घायलों को **SMS** हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर की तलाश कर रही है। थानाधिकारी महावीर यादव ने बताया- हादसे में अनिकेत (18) पुत्र रामकिशोर और प्रवीण (18) पुत्र प्रकाश की मौत हो गई। विकास पुत्र जितेंद्र और शिवम पुत्र बबलू को **SMS** हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है।

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए 20 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

बीकानेर, 28 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा संख्या 32 के क्रम में विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को संबल एवं सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश के 25 हजार दिव्यांगजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर आगामी 3 दिसंबर 2026 (अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस) के अवसर पर संपूर्ण राजस्थान में राज्य एवं समस्त जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में कत्रिम अंग व सहायक उपकरणों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी या सहायता के लिए अपने निकटतम ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पंचायत समिति, एवं जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चौपड़ा कटला बीकानेर में संपर्क कर सकते है।

Choice The Joy of Earning
चॉइस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
प्रधान कार्यालय : सुनील पटोदिया टॉवर, जे.बी. नगर, अंधेरी (पूर्व)मुंबई - 400099
जयपुर कार्यालय : यूनिक टॉवर, क्यू-32, सुमेर नगर, मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर,राजस्थान - 302020, भारत

अनुसूची-6 (नियम 8(1)कब्ज़ा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, चॉइस फिनसर्व प्रा. लि.के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित(प्रवर्तन)नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22 दिसंबर, 2025 को मांग सूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा ऋणी श्रीमती पूजा जांगिड़ , श्री कैलाश चन्द्र यादव (सह-(ऋणी), श्री मनोज मिरोथा (सह-ऋणी) (ऋण खाता संख्या LLRJJPR0008283) को उक्त मांग सूचना में उल्लिखित राशि रु 22,24,986/- (रुपये बाईस लाख चौबीस हजार नौ सौ छियासी मात्र), जो कि 18-दिसंबर-2025 को बकाया थी, तथा ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार 19-दिसंबर-2025 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू भविष्य के ब्याज एवं डिफॉल्ट ब्याज सहित, उक्तसूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने हेतु कहा गया था।

ऋणियों/बंधककर्ताओं द्वारा उक्तराशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण, एतद्द्वारा ऋणियों/बंधककर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 25 सितंबर 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा ले लिया है।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ता विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। उक्त संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन-देन चॉइस फिनसर्व प्रा. लि के पक्ष में उक्त संपत्ति पर विद्यमान प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि रु.22,24,986/- (रुपये बाईस लाख चौबीस हजार नौ सौ छियासी मात्र) 18-दिसंबर-2025 को बकाया थी, तथा ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार 19-दिसंबर-2025 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू भविष्य के ब्याज एवं डिफॉट ब्याज सहित देय होगी। ऋणियों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत संपत्ति के मोचन हेतु उपलब्ध समयावधि से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग जिसमें रिहायशी फ्लैट नं. टी-01, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 7, स्कीम वैशाली एस्टेट विस्तार, ग्राम सिरसी, तहसील एवं जिला जयपुर, राजस्थान मे स्थित हैं जिसका श्रेत्रफल 987.03 वर्गफीट है।
सीमाए:-पूर्व :40 फीट सड़क पश्चिम :अन्य भूमि उत्तर :प्लॉट नं. 08 दक्षिण :प्लॉट नं. 06
दिनांक:- 25.09.2026 स्थान:- जयपुर चॉइस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना
ईज़ी होम फाइनेंस लिमिटेड
easy home finance
CIN: U74999MH2017PLC297819
पंजीकृत कार्यालय: 302, तीसरी मंजिल, सेवॉय चैंबर्स, दत्तात्रेय रोड और वी. पी. रोड (एक्सटेंशन), सांताक्रूज़ पश्चिम, मुंबई शहर, महाराष्ट्र 400054, भारत।
दूरभाष संख्या: 022 3550 3442;
ईमेल: **cs@easyhomefinance.in** वेबसाइट: **www.easyhomefinance.in**

शाखा कार्यालय का स्थानांतरण और बंद होना

ईज़ी होम फाइनेंस लिमिटेड का कोटा स्थित शाखा कार्यालय 1 जनवरी, 2027 से नीचे उल्लेखित नए परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा:

शाखा का नाम	स्थानांतरण की तिथि	पुराना पता	नया पता	राज्य
कोटा	1 जनवरी, 2027	बिल्डिंग नंबर 223, तीसरी मंजिल, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के ऊपर, निकट माणिक भवन, गुमानपुरा कोटा, राजस्थान 324007	प्लॉट नंबर 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लेक्स, नई कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान, 324007	राजस्थान

1 जनवरी, 2027 से, नया परिसर लेन-देन स्वीकार करने का आधिकारिक केंद्र होगा और ईज़ी होम फाइनेंस लिमिटेड को भेजे जाने वाले लेन-देन/ग्राहक सेवा अनुरोध नए पते पर भेजे जाने चाहिए। ग्राहक अपनी पूछताछ/प्रश्न **customercare@easyhomefinance.in** पर भी भेज सकते हैं।

ईज़ी होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/-
कंपनी सचिव

निवास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में, निवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)
NIWAS HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः - ए-1, छठी मंजिल, ट्रेड स्टार, अंधेरी, कुर्ला रोड, जेबी नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059

कब्जा नोटिस
[नियम 8(1) और (2)]

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां उल्लेखित सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया।
उधारकर्ता राशि चुकाने में असफल होने पर, उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि एनएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उस पर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लेखित तिथि पर सुरक्षा हित प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लेखित राशि के लिए एनएचएफपीएल के शुल्क और उस पर ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं और संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
LNBHLOHL-12220027681	1. रामजान खा (उधारकर्ता) 2. सितारा बानो (सह-उधारकर्ता) 3. शाहरुख खान (गारंटर)	रू. 11,66,785/- (ग्यारह लाख छियासठ हज़ार सात सौ पच्यासी रुपये मात्र) तारीख: 14-अक्टूबर-2025	23-सितंबर-2026	भौतिक कब्ज़ा

प्रॉपर्टी का विवरण: ग्राम सबलपुरा, ग्राम पंचायत रेड़वास, पंचायत समिति कोटाडी, जिला भीलवाड़ा-राजस्थान में स्थित श्री रामजान कायमखानी पुत्र श्री शालू खा कायमखानी की पट्टा संख्या 16 वाली संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, जिसकी क्षेत्रफल 2700 वर्ग फुट है, निम्नलिखित सीमाएँ पूर्व-मार्ग पीएफ पप्पू खा, पश्चिम-सार्वजनिक मार्ग, उत्तर-सार्वजनिक मार्ग, दक्षिण-जेतुन/गोरु खा हैं

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं और संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
LNBHLOHL-04230031211	1. मदन वैष्णव (उधारकर्ता) 2.रेखा देवी (सह-उधारकर्ता) 3.नरेश वैष्णव (सह-उधारकर्ता)	रू. 9,97,128/- (नौ लाख सत्तानवे हज़ार एक सौ अट्ठाईस रुपये मात्र) तारीख: 16-जून-2026	24-सितंबर-2026	सांकेतिक कब्ज़ा

प्रॉपर्टी का विवरण: कृषि भूमि वाली उस पूरी संपत्ति का विवरण इस प्रकार है: क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर (3229.17 वर्ग फुट), जो आराजी नंबर 303, राजस्व गांव मेहंदी, पटवार सर्कल सतलियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी चार सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व - पारसमल की शेष आराजी नंबर 303।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं और संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
LNBRPLAP-10250065038	1. रॉबिन सिंह (उधारकर्ता) 2. मन सिंह (सह-उधारकर्ता) 3. पुष्पा देवी (सह-उधारकर्ता) 4. प्रमोद कुमार (सह-उधारकर्ता)	रू. 10,17,733/- (दस लाख सत्रह हज़ार सात सौ तैंतीस रुपये मात्र) तारीख: 16-अप्रैल-2026	26-सितंबर-2026	सांकेतिक कब्ज़ा

प्रॉपर्टी का विवरण: यह पूरी प्रॉपर्टी (ज़मीन का टुकड़ा) जिसका कुल क्षेत्रफल 1551.01 वर्ग फ़ीट / 172.33 वर्ग गज़ है, पट्टा नंबर-36, गाँव-चिचाना, ग्राम पंचायत-चिचाना, पंचायत समिति-सेवर, तहसील और ज़िला-भरतपुर (राजस्थान) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - इस तरफ़ चौड़ी सड़क, पांडवा का घर, गैलरी और चंद्रभान का घर; पश्चिम - इस तरफ़ खेत; उत्तर - इस तरफ़ देवीराम का घर; दक्षिण - मनहोरी का यह साइड हाउस (कुल क्षेत्रफल 1551.01 वर्ग फ़ीट / 172.33 वर्ग गज़)।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं और संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
LNBJNOHL-11240049592	1.सत्यनारायण (उधारकर्ता) 2.प्रेम देवी (सह-उधारकर्ता) 3. कालू राम (गारंटर)	रू. 2,02,294/- (दो लाख दो हज़ार दो सौ चौरानवे रुपये मात्र) तारीख: 16-जून-2026	25-सितंबर-2026	सांकेतिक कब्ज़ा

प्रॉपर्टी का विवरण: वह पूरी प्रॉपर्टी (ज़मीन का टुकड़ा) जो एग्रीकल्चर प्लॉट नंबर 37 है और जो गाँव बडली (पटवार हल्का बडली, तहसील भिनाई, ज़िला अजमेर, राजस्थान) में आराजी नंबर 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467 पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फ़ीट है और जिसकी चार सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - सड़क, पश्चिम - प्लॉट नंबर 24, उत्तर - प्लॉट नंबर 38, दक्षिण - प्लॉट नंबर 36

स्थान: भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर
दिनांक: 29.09.2026
हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी
निवास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited
पंजी. ऑफिस: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011.23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: **www.pnbhousing.com**
शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, विजय टावर, पुराने सरकारी अस्पताल के सामने, नागौर, राजस्थान-341301

कब्ज़ा सूचना (अचल संपत्ति के लिए नियम 8(1) और परिशिष्ट-IV के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम के अंतर्गत **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002** की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तिथि को मांग नोटिस जारी कर संबंधित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से नोटिस की तिथि/सूचनाओं की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया है। उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता व्यक्तियों और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन ऋण समझौते के अनुसार पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा देय राशि और उस पर लगने वाले ब्याज के अधीन होगा। **उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।**

ऋण खाता संख्याओं	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/कानूनी वारिस का नाम	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना में दिनांक के अनुसार राशि	कब्ज़ा मिलने की तारीख / कब्ज़े का प्रकार	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
HOU/RNAG/0723/1140334 बी.ओ.- नागौर	श्री/श्रीमती ओम प्रकाश (उधारकर्ता) और श्री/श्रीमती निरमा देवी (सह-उधारकर्ता) और महावीर सोलंकी (गारंटर)	11 जून 2026	रू. 17,33,601.42 (सत्रह लाख तैंतीस हज़ार छह सौ एक रुपये और बयालीस पैसे मात्र)	25.09.2026 (सांकेतिक)	संपत्ति का वह सारा हिस्सा और पार्सल भाग संख्या 312, 90के, 2017.18, खसरा संख्या 211/33, प्लॉट संख्या सी, मौजा मनासर, नागौर राजस्थान भारत - 341001

स्थान:- राजस्थान, दिनांक : 29.09.2026 हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) और नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने हेतु मांग नोटिस जारी किया था। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने पर, मैंने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के शुल्क के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	प्रेम राज सिंह (उधारकर्ता), आरती भाटी (सह उधारकर्ता), पुष्पा कंवर (सह उधारकर्ता) एलपी0000000119864	17/जून/26 रूपये 1060679/- 16/जून/26 तक	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहाँ : पट्टा नंबर 49/128, ग्राम आज़ादपुरा, तहसील बड़ी सादड़ी, ज़िला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) - 312403 स्थित है; इसका क्षेत्रफल 840 वर्ग फ़ीट है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - योगेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह का घर; दक्षिण - सत्यनारायण सिंह पुत्र गोपाल सिंह का घर; पूर्व - आम रास्ता; पश्चिम - सड़क के किनारे की खाली ज़मीन।	सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया 23/09/2026
2.	सोनू कुंवर राजपूत (उधारकर्ता), विक्रम सिंह राजपूत (सह-उधारकर्ता) **LP**0000000207206 **LP**0000000264775	17/जून/26 रू. 18,40,711/- और रू. 3,76,523/- 16/जून/26 तक	उस अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, जो गाँव डलोट, ग्राम पंचायत डलोट, तहसील डलोट, ज़िला प्रतापगढ़, राजस्थान (पिन कोड 312619) में स्थित है। यह संपत्ति पट्टा नंबर 12 और आबादी आराजी नंबर 2190 के तहत आने वाली आवासीय ज़मीन है, जिसका कुल क्षेत्रफल 855 वर्ग फ़ीट है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - आम रास्ता, दक्षिण - सुनील प्रजापत का प्लॉट, पूर्व - किशोर सिंह का मकान, पश्चिम - अनिल प्रजापति का प्लॉट।	सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया 23/09/2026
3.	राजेंद्र प्रसाद मेहता (उधारकर्ता), सीता शर्मा (सह- उधारकर्ता), प्रमोद कुमार बैरवा (गारंटर) **LP**0000000022570	17/जून/26 रूपये 5,87,787/- 16/जून/26 तक	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहां, वह पूरी दुकान नंबर 4 और 5, जिसका माप 20 वर्ग गज है (**JDA** से मंज़ूर प्लान के अनुसार) और जो स्कीम शिव पार्क कॉलोनी, मीनावाला, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 में स्थित है, उसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - दुकान नंबर 3, दक्षिण - दूसरों की ज़मीन, पूर्व - दूसरों का प्लॉट, पश्चिम - 30 फ़ीट चौड़ी सड़क।	सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया 24/09/2026
4.	राहुल बंजारा (उधारकर्ता), ज्योति बंजारा (सह-उधारकर्ता), दीपक बंजारा (सह-उधारकर्ता), रेखा बाई बंजारा (सह उधारकर्ता), लालू बंजर (गारंटर) एलपी0000000153662	17/जून/26 रूपये 5,10,880/- 16/जून/26 तक	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहां, आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 11, पुस्तक संख्या 52, ग्राम-पीलू खेड़ा -ग्राम पंचायत-पीलू खेड़ा, पंचायत समिति-प्रतापगढ़ राजस्थान- 312605 में स्थित है,, कुल क्षेत्रफल-450 वर्ग फुट, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - रास्ता दक्षिण - हितेश/रामलाल का मकान पूर्व - रास्ता पश्चिम - रास्ता	सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया 24/09/2026
5.	अंकुर गुप्ता (उधारकर्ता), ऊषा (सह-उधारकर्ता), अनिल कुमार साहू (गारंटर) **HL**0000000016763 **LP**0000000033903	17/जून/26 रू. 5,79,371/- और रू. 1,73,975/- 16/जून/26 तक	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहां, यह संपत्ति वार्ड नंबर 6, संघपुरा, पुरानी टोंक, टोंक तहसील, जिला टोंक (राजस्थान) में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 37.89 वर्ग गज है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तर - आम रास्ता/खुला चौक, दक्षिण - गली, पूर्व - श्रीमती शांति देवी का घर, पश्चिम - अमित टिक्कीवाल का घर।	सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया 26/09/2026
6.	कारूलाल धोबी (उधारकर्ता), पिंकी धोबी (सह-उधारकर्ता) **HL**0000000189425	20/मई/25 रूपये 14,94,498/- 13/मई/25 तक	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहां, आवासीय भूखंड का आकार 6330 वर्ग फीट, आवासीय आराजी नंबर 170 का हिस्सा, गाँव भचुंडला, तहसील दलोट, जिला प्रतापगढ़ राजस्थान, माप क्षेत्र 6330 वर्ग फीट (इसके बाद इसे ''उक्त संपत्ति'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो कि परती के रूप में सीमाओं के नीचे है:- उत्तर की ओर: विक्रेता के आराजी का हिस्सा, दक्षिण की ओर: सड़क, पूर्व की ओर: जगदीश पुत्र भेरा की आराजी, पश्चिम की ओर: घनश्याम पुत्र रामेश्वर मीणा की आराजी	भौतिक कब्ज़ा लिया गया 23/09/2026

दिनांक : 29.09.2026
स्थान : चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जयपुर, टोंक
अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**